

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

फा.क./स्वच्छता/छ:/2017/147

टेंडर नं. 29220

कोरबा दिनांक 04.02.2019

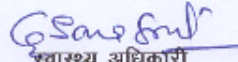
ई-निविदा आमंत्रण सूचना

कार्यालय नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा लोक निर्माण विभाग एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा उचित वर्ग में पंजीकृत सफाई कार्य में अनुमती ठेकेदारों से ई-प्रोक्चुरमेंट (E-Tendering) के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं :-

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि (लाख में)	धरोहर राशि	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की तिथि
1	वार्ड क्र. 11 नई बस्ती गेन रोड संजय नगर लक्ष्मणबन क्षेत्र की सफाई व्यवस्था कार्य	36.49	20000/-	12 माह	वर्ग डी एवं प्रवर श्रेणी	26.02.2019 से

शर्त :-

- जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी
- निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदार फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, प्राक्कलन राशि के लगभग सफाई कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र, पिछले वर्ष का आय प्रमाण पत्र/पैन नम्बर एवं जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र, धरोहर राशि ऑनलाईन सबमिशन के माध्यम से करना होगा तथा स्केन कॉपी ऑन लाईन सिस्टम में अपलोड करना होगा साथ ही कार्य में लगे श्रमिकों का ई.एस.आई.सी. एवं पी.एफ. में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा। वाहन का स्वामित्व प्रोपाइटर/फर्म के नाम पर होना अनिवार्य होगा।
- निविदा प्रपत्र अहस्तांतणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा अर्थात् निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
- निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित होगा।
- विस्तृत जानकारी नगर पालिक निगम साकेत भवन रामपुर कोरबा के स्वास्थ्य एवं विकित्सा विभाग से प्राप्त की जा सकती है।
- बिना बताए निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत या पूर्ण रूप से अमान्य करने का अधिकार सक्षम अधिकारी का रहेगा।


स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम,
कोरबा (छत्तीसगढ़)

Date-Time Detail(s)

Seq. No.	Nagar Nigam Stage	Contractor Stage	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1	Release Tender		04.02.19	12.30	04.02.19	12.30	Release Tender
2		Bid Submission	04.02.19	12.30	25.02.19	17.30	
3	Tender Open		26.02.19	10.30	--	--	

HEALTH OFFICER
KORBA (CG)
For, Commissioner Korba (C.G.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फा.क./स्व./छ:/2019

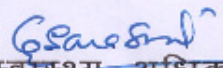
कोरबा दिनांक.....

नियम एवं शर्तें :-

1. ठेकेदार का कार्य क्षेत्र :-.....
2. ठेकेदार को सफाई उपकरण जैसे - रिक्शा, हाथ ठेला, झोडी, रापा, तगाडी, बेलचा, सुरक्षा उपकरण, एम. एस. राड आदि की व्यवस्था स्वयं करना होगा। इसके अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों को अन्य सुरक्षा सामग्री जैसे गम बूट दस्ताने, मास्क आदि उपलब्ध कराना होगा।
3. सफाई कार्य में लगे श्रमिकों को न्यूनतम वेतन कलेक्टर द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्धारित दर पर करना होगा। श्रमिकों के समस्त भत्ते मेडिकल अवकाश एवं सम्पूर्ण जवाबदारी श्रम कानून के अंतर्गत पालन करना अनिवार्य होगा। सफाई कर्मचारियों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे कर्मचारी जिनका कार्य असंतोषजनक होगा बदलने का अधिकार नगर निगम को होगा एवं ठेकेदार को ऐसे कर्मचारी बदलकर नये कर्मचारी कार्य पर लगाने होंगे।
4. ठेकेदार को अपने कार्य क्षेत्र में सफाई कामगारों को प्रत्येक कार्य समय में रखना अनिवार्य होगा, कार्य की आवश्यकता को देखते हुए सफाई कामगारों की संख्या प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार बढ़ाई जावेगी।
5. ठेकेदार को अपने कार्य क्षेत्र में कचरे के एकत्रीकरण एवं समापन हेतु वाहन (ट्रेक्टर मय ट्राली, ट्रक चार चक्का वाहन, मेटाडोर, टाटा एस) नग, हाथ ठेला नग, रिक्शा नग, रखना अनिवार्य होगा। कार्य की आवश्यकता को देखते हुए वाहनों, हाथ ठेला, ट्राई साइकिल की संख्या प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार बढ़ाई जाएगी। वाहन एवं रिक्शे अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के दिशा निर्देशों के मापदण्ड अनुसार होना आवश्यक है।
6. सफाई कर्मचारियों की संख्या कम होने पर जितने कर्मचारी कम होंगे उतनी मात्रा में स्वीकृत दर पर दिये जाने वाले भुगतान की राशि प्रति दिन के हिसाब से काटी जावेगी तथा संबंधित ठेकेदार द्वारा निर्धारित संख्या से कम सफाई कर्मचारी कार्य पर लगाने की दशा में यदि विभाग द्वारा विभागीय कर्मचारियों से सफाई कार्य कराया जाता है उस दशा में निगम द्वारा होने वाले व्यय की दुगुनी राशि संबंधित ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली राशि से काटी जावेगी।
7. ठेकेदार को अपने कार्य क्षेत्र से निकलने वाले सम्पूर्ण कचरे को प्रतिदिन अपने वाहन से परिवहन कर निर्धारित स्थल बरवसपुर में समापन करना अनिवार्य होगा। ऐसा ना करने पर निगम द्वारा विभागीय वाहन से अपशिष्ट समापन किया जायेगा इस दशा में ठेकेदार से दण्ड स्वरूप परिवहन पर होने वाले व्यय की दुगुनी राशि देयक से काटी जायेगी साथ साथ उस दिन किये गये सफाई कार्य का भुगतान भी नहीं किया जावेगा। ठेकेदार को अपशिष्ट का परिवहन करते समय वाहन खुला नहीं होगा तथा अपशिष्ट का बिखराव सड़क पर नहीं होगा। प्लास्टिक, तिरपाल, आदि से ढक्कर परिवहन करना अनिवार्य होगा।
8. सफाई कार्य के शिकायतों का निराकरण तत्काल संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कराना अनिवार्य होगा।
9. ठेकेदार को शासकीय मानक के अनुरूप श्रमिकों को प्रतिदिन कार्य पर रखना व भुगतान पंजी का संधारण करना, लेबर लाइसेंस, ई.एस.आई. रजिस्ट्रेशन तथा पी.एफ. नंबर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. ठेकेदार को सार्वजनिक स्थलों जैसे बस स्टैंड, व्यवसायिक परिसर एवं सांस्कृतिक भवन हेतु प्रभारी के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन तथा सफाई निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप करना अनिवार्य होगा।
11. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से करना अनिवार्य होगा।

12. यदि सफाई ठेकेदार द्वारा सफाई कार्य निगम द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं किया जाता है तो न्यूनतम प्रतिदिन के देय भुगतान का 100% का तथा अधिकतम आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा निर्धारित कर अर्थदण्ड आरोपित किया जावेगा।
13. ठेकेदार/प्रतिनिधि का कार्य स्थल पर कार्य अवधि में रहना अनिवार्य होगा ठेकेदार/प्रतिनिधि के मोबाइल नम्बर प्रभारी अधिकारी के पास उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। सफाई कार्य में संलग्न समस्त कर्मचारियों को परिचय पत्र प्रदान करना अनिवार्य होगा।
14. सफाई कार्य की अवधि 8 घंटे की रहेगी। कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति दिन में दो बार कार्य पर उपस्थित होते समय तथा कार्यवधि पूर्ण होने पर Bio Matric/Online उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा।
15. अधिकारियों के निर्देशानुसार फिनाईल, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराना आवश्यक होगा। कीटनाशक दवा, फिनाईल आदि विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।
16. सीवर लाईन सफाई के पूर्व एवं बाद में चेम्बर कव्हर को व्यवस्थित करना/खोलना/बंद करना अनिवार्य होगा।
17. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व क्षेत्र में साइट आफिस खोलना अनिवार्य होगा जिसकी लिखित जानकारी प्रभारी अधिकारी को देना होगा।
18. कचरे के समापन के लिए उपयोग में लाये जाने वाले निर्धारित संख्या में वाहन जिसकी जानकारी निविदा में दी गई है। साइट पर कार्यरत रखना अनिवार्य होगा।
19. ठेकेदार द्वारा अपने कार्य क्षेत्र से मृत, लावारिस जानवर, कुत्ता, बिल्ली, गाय आदि का शिकायत प्राप्त होने पर उठाना अनिवार्य होगा जिसका पृथक से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
20. सफाई कर्मचारी को अपने कार्य पर वर्दी में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। ठेकेदार द्वारा सफाई कामगारों को वर्दी एवं सुरक्षा उपकरण उपलब्ध न कराने की दशा में निगम द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा जिसकी दुगुनी कीमत ठेकेदार के देयक से वसूल की जावेगी। कर्मचारी के पास ठेकेदार द्वारा जारी किया गया परिचय पत्र वर्दी पर लगा होना आवश्यक है तथा सभी कर्मचारियों का वर्दी में कार्य पर उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
21. सफाई कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्य का सत्यापन नगर निगम के स्वच्छता निरीक्षक, वरि. स्वच्छता निरीक्षक,स्वास्थ्य अधिकारी, आयुक्त द्वारा नियुक्त अधिकारी के द्वारा किया जा सकेगा एवं सफाई कर्मचारियों की कार्य स्थल पर उपस्थिति, सफाई सामग्री उपलब्धता एवं सफाई कार्य गुणवत्ता पर टीप लिखी जावेगी, जिसके आधार पर देयक का भुगतान किया जावेगा।
22. अनुबंधकर्ता को छत्तीसगढ़ में प्रचलित लेबर एक्ट की धाराओं एवं ई.एस.आई. नियमों का पालन करना होगा एवं उसके लिए नगर निगम जिम्मेदार नहीं होगा।
23. सफाई कार्य के लिए अनुबंध की अवधि एक वर्ष के लिए रखी जाती है परंतु निगम द्वारा कभी भी एक माह का नोटिस जारी कर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा तथा अनुबंधित अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर एक सप्ताह का नोटिस देकर अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।
24. नगर निगम एवं अनुबंधकर्ता के बीच किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में नगर निगम आयुक्त/महापौर का निर्णय अंतिम माना जावेगा।
25. ठेकेदार को आबंधित क्षेत्र की सफाई संबंधी 1100,स्वच्छता एप की शिकायत का निराकरण 24 घंटे के अंदर करना होगा समयावधि में शिकायत का निराकरण नहीं होने पर शिकायत की स्थिति में अर्थदण्ड आरोपित किया जावेगा। प्राप्त शिकायतों की पंजी संधारित करना होगा एवं संबंधित से जानकारी लिया जाकर सूचित किया जाना भी ठेकेदार का ही दायित्व होगा तथा संबंधित ठेकेदार एवं सुपरवाइजर को मोबाइल से वाट्सअप चालू रखना अनिवार्य होगा एवं वाट्सअप के माध्यम से की गई शिकायत का निराकरण निर्धारित समय (24 घंटे) के अंदर करना होगा तथा शिकायत निराकरण पंजी प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

26. अनुबंधकर्ता अनुबंध अवधि तक कार्य नहीं छोड़ सकेगा यदि अनुबंध के बीच के अवधि में कार्य छोड़ा गया तो नये ठेके से जो हानि नगर निगम को होगी उसकी क्षतिपूर्ति अनुबंधकर्ता से की जा सकेगी और उसकी सुरक्षा राशि राजसात कर ली जावेगी एवं आगामी तीन वर्ष तक निगम के अन्य किसी भी कार्य से वंचित माना जावेगा।
27. यदि आवश्यक होगा तो अपशिष्ट एकत्रीकरण, संग्रहण, पृथक्करण एवं परिवहन कार्य हेतु आयुक्त नगर पालिक निगम के निर्देशानुसार प्रयुक्त वाहन के डिजाइन एवं वाहन के प्रकार में परिवर्तन किया जा सकेगा।
28. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
29. स्वयं के व्यय पर ठेका क्षेत्र अंतर्गत समस्त वार्डों में सहज दृश्य स्थान पर स्वयं व सफाई निरीक्षकों के Whatsapp/Mobile नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
30. समय-समय पर शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के पालन की अनिवार्यता होगी।
31. अनुबंधकर्ता के द्वारा सफाई कार्य पर रखे गये सफाई कर्मचारी अनुबंधकर्ता के कर्मचारी होंगे तथा वे इस आधार पर कि उन्होंने नगर निगम कोरबा में सफाई कार्य किया है भविष्य में कभी निगम के सेवा में रखे जाने के अधिकारी नहीं होंगे।
32. रविवार एवं अवकाश के दिनों (रविवार को रोटेशन पद्धति) में कार्य किया जाना आवश्यक होगा।
33. अनुबंधित क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक पेशाबघर, शौचालयों की सफाई प्रत्येक 2 घण्टे के अंतराल से किया जाना अनिवार्य होगा। सफाई कार्य में प्रयुक्त होने वाले एसिड, फिनाइल, सफाई उपकरण, ब्लीचिंग आदि ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।
34. बंद (कवर्ड) नालियों की सफाई अधिकारी के निर्देशानुसार करना अनिवार्य होगा। सफाई के पश्चात नालियों के खोले गये ढक्कन उचित रूप से लगाकर पुनः नाली कवर करना होगा।
35. हड़ताल किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जावेगी। हड़ताल करने पर कार्यादेश स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
36. व्यावसायिक क्षेत्रों में सुबह, सायं एवं रात्रि में झाड़ू लगाकर सफाई तथा डोर टू डोर अपशिष्ट एकत्रीकरण का कार्य कराना अनिवार्य होगा।
37. शासन द्वारा समय-समय पर परिवर्तनशील मंहगाई दर को आपके प्रति श्रमिक निविदा दर के अंतर का लाभ (Escalation) प्रदाय किया जावेगा।
38. आपात परिस्थितियों में नगर निगम द्वारा आवश्यकता पड़ने पर सफाई कार्य में लगे कर्मचारियों की सेवाएं सफाई संबंधी अन्य कार्य में लेने का अधिकार नगर निगम प्रशासन का होगा।
39. उपरोक्त कार्य शर्त क्र. 01 से 38 तक के शर्तों का पालन न करने की स्थिति में ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा को होगा एवं ठेका निरस्त की स्थिति में निगम को होने वाली किसी प्रकार की आर्थिक हानि के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा।


 स्वास्थ्य अधिकारी
 नगर पालिक निगम
 कोरबा (छ.ग.)

OFFICE OF MUNICIPAL CORPORATION , KORBA (C.G.)

ABSTRACTSWEEPING AND CLEANING WORK AT WARD -11 NAI BASTI, MAIN ROAD SANJAY NAGAR,
LAXMAN VAN AREA

No.	Quantity	Item of work	Unit	Rate	Amount	Remarks
1.	(A) 6500.00 R.m	Part - A Sweeping & cleaning of Main roads Shyam Tradors To Railway Crossing turning 02 times in a day (Day nad Night Sweeping) in Comersial Area & Nai Basti area. work done 06 times in a week at ward no. 11 nai basti area i/c Both side berm, refuse, garbage etc.collect by hand carts/ three wheel rickshawa same day (daily).sweeping & cleaning work done Six Times in a week as per direction by officer in charge.	R.m			
	(B)2850.00 R.m	Sweeping & cleaning of roads at ward no. 11 laxman van, sanjay nagar Badi Tanki para, Canal Road area ulternate days. collection refuse, garbage etc.collect by hand carts/ three wheel rickshawa same day. work done three times in a week normall.work done as per direction by officer in charge frequency may be charge as per required by officer in charge.	R.m			
2.	A)	cleaning open drain up to its full depth cleaned daily i/c collection sludge, garbage etc same day by hand carts/ three wheel rickshawa work done (06) six times in a week & Coverd drain cleaning as per required work done as per direction by officer in charge frequency may be charge as per required.	R.m			
	Open Drain 3700.0 R.m					
	Covered 3600.0 R.m					
	(B)1200.00 R.m	cleaning open drain up to its full depth cleaned ulternat day at sanjay nagar & laxman van pani Tanki para Area. i/c collection sludge, garbage etc same day. work done 03 three times in a week normally. work done as per direction by officer in charge.	R.m			
3.	1150.00 R.m	Bada nala cleaning up to its full depth. collection sludge, garbage etc & disposal by own vehical work done every three month (four time in a year) normally.& when required work done as per direction by incharge. 16 worker x 312 02 worker x 365 Safai Kamgar For part A work =18 Nos	R.m			
			per Safai kamgar per day			
			M ³			
1.	3000.00 M ³	Part - B transportation refuse, garbage rubbish, grass, plastic sludge etc. whom genrate by sweeping & cleaning drain cleaning, door to door collection work Part A(item No-1 to 03) & Part B and when directed by in charge, transport by tractor trolly /truck up to Dry and wet Separatly Notified dumping ground barbaspur daily work done as per direction by officer in charge .				